

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2093]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 28, 2015/आश्विन 6, 1937

No. 2093]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 28, 2015/ASVINA 6, 1937

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(पण्य व्युत्पाद बाजार प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2015

का.आ. 2643(अ).—वित्त मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 2363(अ) तारीख 28 अगस्त, 2015 के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2015 की धारा 132 के उपबंध के अनुसरण में, वायदा बाजार आयोग के सदस्य 29 सितम्बर, 2015 से अपने पद पर नहीं रहेंगे। तदनुसार, केंद्रीय सरकार श्री रमेश अभिषेक, आईएएस (बिहार : 82), को अध्यक्ष, वायदा बाजार आयोग, मुंबई के पद से 28.09.2015 अपराह्न से अपने कार्यभार से मुक्त करती है।

[फा. सं. 10/5/2014-सीडी (पार्ट)]

सी. के. जी. नायर, सलाहकार (पूंजी बाजार)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(COMMODITY DERIVATIVES MARKETS DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2015

S.O. 2643(E).— In pursuance of the provision of section 132 of the Finance Act, 2015 read with the Ministry of Finance Notification S.O. 2363(E) dated 28 August 2015, the members of the Forward Markets Commission shall cease to hold office with effect from 29th September 2015. Accordingly, the Central Government relieves Sh. Ramesh Abhishek, IAS (BH: 82) from his duties of the post of Chairman, Forward Markets Commission, Mumbai with effect from the afternoon of 28.09.2015.

[F. No. 10/5/2014-CD (Pt.)]

C.K.G. NAIR, Adviser (Capital Markets)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2015

का.आ. 2644(अ).—वित्त मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 2363(अ) तारीख 28 अगस्त, 2015 के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2015 की धारा 132 के उपबंध के अनुसरण में, वायदा बाजार आयोग के सदस्य 29 सितम्बर, 2015 से अपने पद पर नहीं रहेंगे। तदनुसार, केंद्रीय सरकार श्री नगेन्द्र परख, सदस्य, वायदा बाजार आयोग, मुंबई को 28.09.2015 अपराह्न से उनके कार्यभार से मुक्त करती है और उन्हें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुंबई में अपना कार्यभार ग्रहण करना का निर्देश दिया जाता है।

[फा. सं. 10/5/2014-सीडी (पार्ट)]

सी. के. जी. नायर, सलाहकार (पूंजी बाजार)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2015

S.O. 2644(E).—In pursuance of the provision of section 132 of the Finance Act, 2015 read with the Ministry of Finance Notification S.O. 2363(E) dated 28 August 2015, the members of the Forward Markets Commission shall cease to hold office with effect from 29th September 2015. Accordingly, the Central Government relieves Sh. Nagendraa Parakh from his duties of the post of Member, Forward Markets Commission, Mumbai with effect from the afternoon of 28.09.2015 with the direction to report thereafter for duties to the Securities and Exchange Board of India, Mumbai.

[F. No. 10/5/2014-CD (Pt.)]

C.K.G. NAIR, Adviser (Capital Markets)